(1)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

(2018) 13 S.C.R 428

सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य

विरूद्व

भारत संघ एवं अन्य

(MA Nos. 1394–1395 of 2017)स्पेशल लीव पीटीशन (सिविल) Nos.8398–8399 of 2005

26 सितंबर 2008

(दीपक मिश्रा सी.जे.आर्इ., ए.एम.खानविलकर एवं डॉ. धनंजय व्हाय.चंद्रचूड जज)

न्यायालय की अवमाननाः–

अवमानना याचिका––पोषणीयता––याचिकाकर्ता की आपत्ति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.17.05.2018 के अवसर पर माननीय न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के असंयोजन एवं अन्य परिस्थितियों के संबंध में सही तथ्य नहीं रखे गये आैर यह आदेश पारित किया गया।

अभिनिर्धारित–– प्रमुख हितधारकों की अनुपस्थिति में विषय के परिपेक्ष्य में सही तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं रखे गये अतः न्याय की हानि को रोकने के लिये आदेश दि.17.05.2018 को पारित आदेश को प्रत्याहरित किया गया है। परिणामस्वरूप अवमानना याचिका में पारित आदेश दि.17.05.2018 निष्प्रभावी हो गया।

बहु राज्य सहकारी समिति सुपर बाजार को भारी नुकसान हुआ आैर वह अपने हितधारकों के प्रति अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गर्इ। सुपर बाजार दिवालिया (परिसमापन) घोषित कर दिया गया। इस दिवालिया होने की घोषणा को कर्मचारी संघ द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गर्इ थी, तब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुॅचा। इस न्यायालय के द्वारा सभी हितधारकों के हित को देखते हुए परिसमापन के आदेश को रदद करते हुए अपनी निगरानी में एक पुनरुद्धार योजना के संबंध में निर्देश प्रदान किये, इस योजना के अंतर्गत डब्ल्यू.पी.एल. ने 504 करोड रूपये का निवेश किया, किंतु इसका पुनरुद्धार नहीं हुआ। अतः इस न्यायालय द्वारा पुनरुद्धार को समाप्त करने की प्रक्रिया को प्रभावी करते हुए, डब्ल्यू.पी.एल. द्वारा निवेश की गर्इ राशि व इस राशि पर व्यवस्था अवधि के दौरान लाभ के अधीन रहते हुए 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ वापस करने के निर्देश दिये। एेसी कटौतियॉ नामांकित लेखा परीक्षक द्वारा

(2)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

सत्यापन करने के बाद की जानी थी तथा अधिकारिक समापक महालेखा परीक्षक थे। डब्ल्यू.पी.एल. की देनकारी चुकाने के पश्चात ही परिसमापन की प्रक्रिया को आगे बढाने का निर्देश दिया गया। सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिस पर डब्ल्यू.पी.एल. ने अपनी आपत्ति प्रकट की। डब्ल्यू.पी.एल. के द्वारा अधिकारिक परिसमापक के विरूद्व अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें इस न्यायालय के द्वारा इस याचिक का निराकरण करते हुए आदेशित किया गया कि डब्ल्यू. पी.एल. 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की राशि प्राप्त करने क अधिकारी था। इस व्यवसाय के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान को निवेश की गई राशि में से कटौती करने की आवश्यकता नहीं थी। अधिकारिक परिसमापक ने डब्ल्यू.पी.एल. के 35 करोड रूपये जारी किये। डब्ल्यू.पी.एल. के द्वारा एक और अवमानना याचिका दायर की गई, जिसमें दि.17.05.2018 को पारित आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया कि निवेश की राशि ब्याज सहित वापस नहीं की गई। भारत संघ ने अवमानना याचिका में अंतरवर्ती आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि दि.17.05. 2018 के आदेश को वापस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अवमानना याचिका जिसमें दि.17.05.2018 को अदेश पारित किया गया, वह पोषणीय नहीं है, क्योंकि इसमें आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन की बाधा है। (सी.ए.जे. और यू.आे.आई.) न्यायालय का ध्यान सभी तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य हितधारकों द्वारा विविध आवेदन और अवमानना याचिका दायर की गई थी।

न्यायालय ने वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सिविल क्र.12.07–1208) को निरस्त करते हुए और 2018 की अवमानना याचिका आई.ए.संख्या 125885 को निराकृत किया।

अभिनिर्धारित—1. इस न्यायालय ने सुपर बाजार के सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के उददेश्य से लंबे समय तक पुनरुद्धार योजना की निगरानी की। यद्यपि सुपर बाजार पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। डब्ल्यू.पी.एल. के द्वारा यह दावा किया गया कि उसने बडी मात्रा में पैसा निवेश किया था, जिसके बावजूद कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। पुर्नररूधार योजना इस न्यायालय द्वारा परिकल्पित भाति से निष्पादित नहीं की गई थी। प्रथमदृष्टया सी.एन.जी. रिपोर्ट में यह सत्यापन किया गया कि वर्तमान मामले से संबंधित होने से इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जावे। लेख परिक्षक द्वारा इंगित और

(3)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

सी.एन.जी. द्वारा सत्यापित खातों में गंभीर अनियमितताआें की सावधानी पूवर्क जांच किये जाने की आवश्यकता है। पूर्व के अवसर पर भारत संघ को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ तथा पूर्व अधिकारिक परिसमापक द्वारा वकील को उपस्थित होने से निषेधित किये जाने के लिखित निर्देशों के जारी किये जाने से इस न्यायालय के समक्ष प्रभावी रूप से पूर्ण तथ्य रखे जाने से रोक दिया है। सुपर बाजार किसके हितों को प्रभावित करती है, विविध हितधारकों आैर सार्वजनिक हित में न्यायालय के समक्ष पूर्ण तथ्य रखे जाने चाहिए जिससे वह निर्णय लेने में सक्षम हो। (पैरा 19)

2. इसके अतिरिक्त पूर्व अधिकारिक परिसमापक के कार्यभार संभालने के पश्चात डब्ल्यू.पी.एल. के लिये 35 करोड रूपये जारी करने के निर्देश दिये गये। इस तर्क पर दबाव दिया गया कि यह सोच विचार कर किया गया था, इससे इस न्यायालय के समक्ष संपूर्ण तथ्यों को लाने से रोका जावे। न्यायहित में यह आवश्यक है कि यदि डब्ल्यू पी एल को कोर्इ राशि देना शेष है तो अंतिम निर्धारण के पूर्व मामले की पूरी सुनवार्इ की जावे। भारत संघ, सी.ए.जी, वर्तमान अधिकारिक परिसमापक, डब्ल्यू.पी.एल., हितधारक कर्मचारी संघ, ऋण दाताआें के संघ आैर भी कोर्इ हो उन्हें अवसर दिया जावे। इसमें हितधारकों के महत्वपूर्ण हित शामिल है। पूर्वाधिकारी परिसमापक द्वारा दिये गये लिखित निर्देशों के कारण, जिसमें वकील के उपस्थित होने से इंकार किया गया था, पूरा परिदृश्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। एेसा करने में उनका जो भी उददेश्य रहा हो, प्रमुख हितधारकों की अनुपस्थिति में संपूर्ण तथ्य एवं हितधारकों के हित न्यायालय के समक्ष लाये जाने चाहिए थे, किंतु वह न्यायालय के समक्ष नहीं लाये जा सके। एेसी परिस्थिति में यह न्यायालय का कर्तव्य है कि न्याय की हानि होने से रोके आैर नये सिरे से सुनवार्इ के लिये कार्यवाही करे तथा आदेश दि.17.05.2018 को प्रत्याहरित (**recoll**) करे।

3. इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दि.17.05.2018 को प्रत्याहरित (**recoll**) किया जाता है। अवमानना याचिका जो डब्ल्यू पी एल द्वारा आदेश के अपालन के संबंध में पेश की गर्इ थी, निष्प्रभावी रहेगी। इसके अतिरिक्त अवमानना याचिका में यूनियन आॅफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत अंतरवर्ती आवेदन इस अनुसार निराकृत किया गया कि आदेश दि.17.05.2018 प्रत्याहरित किया गया। (पैरा 22)(442-**B**-**C**)

(4)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार—एम.ए.संख्या 1394–1395/2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8398–8399 में 2017 की। माननीय के निर्णय एवं आदेश दि.17.05.2018 से अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 1665–1666 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2017 साथ विशेष अनुमति याचिका (सिविल) में 2018 एक एम.ए.संख्या 677–678/2005 की संख्या 8398–8399 आैर अवमानना याचिका (सिविल) 866–867 सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ बनाम संध भारत की 2018 में एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 8398–8399/2005 के साथ एम.ए. संख्या 1863–1863/ 2018 में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8398–8399/2005 आैर विशेष अनुमति में अवमानना याचिका (सिविल) क्र.1207–1208/2018 याचिका (सिविल) क्रं. 8398–8399/2005 श्री विक्रमजीत बनर्जी एएसजी, सी.ए.सुंदरम, सुनील गुप्ता, जे.पी.कामा, हरिन पी. रावल, साजन पूवयया, वरिष्ठ अधिवक्ता बी.जू. मटटम, हेमंत सिंह, शोर्य मल्होत्रा, सुश्री दिव्या राय, सुमित गोयल, सुश्री सुमेधा सिंधु, सुश्री महिका भनोट, सुश्री सुरूचि कुमार, मयन प्रसाद, मेसर्स पारेख एण्ड कंपनी आर.के. कपूर, सुश्री रेखा गिरी, सुश्री खेयाली, रजत कपूर, अनीस एहमद खान, आर.पी.शुक्ला, सुश्री उपासना शुक्ला, ध्रुव शुक्ला, विजय के. जैन, लक्ष्मी रमण सिंह, गोपाल शंकरनारायणन, आर. बालसुब्रमण्यम, श्रीमती रेखा पाण्डे, नचिकेता जोशी, गोपाल एस. नारायण, सुश्री आरती शर्मा, सिद्वार्थ सिन्हा, राज बहादुर, श्रीमती अनिल कटियार, एस. वसीम ए. कादरी, जुबैर एहमद खान, जैद अली, तमीम कादरी, सर्इद कादरी, एल.आर. सिंह, प्रियदर्शी बनर्जी, प्रतिभानु सिंह, अनिमेष कुमार, नीरज शेखर, अधिवक्ता दिखाने वाली पार्टियॉ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वार्इ. चंद्रचूड द्वारा सुनाया गया

1. इस कार्यवाही के सेट की उत्पत्ति एक दशक पहले हुर्इ थी, जब कमर्चरियो के हितों की रक्षा के लिये एवं सुपर बाज़ार के हितधारियों जो बहुराज्य सहकारी संस्था है के पुनरुद्धार हेतु योजना इस न्यायालय की देखरेख में बनायी गर्इ। अनियमितताओं के कारण सुपर बाजार को भारी घाटा हुआ, प्रबंधक बकाया वेतन, अपने कर्मचारियों को पेंशन व अन्य व्यय का भुगतान करने में असमर्थ थे। अन्य हितधारियों के प्रति इसकी देनदारियों का भुगतान नहीं हो पा रहा था। एक आदेश सहकारी समिति के केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2002 को जारी किया गया, जिसके अनुसार

(5)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

सुपर बाज़ार परिसमापन में चला गया। कर्मचारी संघ ने इसे परिसमापन के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अंततः, विशेष अनुमति के माध्यम से याचिकायें कार्यवाही हेतु इस न्यायालय में आई। इस न्यायालय ने सभी हितधारियों को संरक्षित करने के लिये तीन सदस्यीय समिति का गठन किया तथा पुनरुद्धार के लिए व्यापक योजनायें बनायी गई। सुपर बाजार के प्रबंधन एवं कार्यकलाप के लिये समिति ने बोली लगाने वालों में से तीन लोगों का चयन किया गया, उनमें से सुपर बाज़ार के मामलों के प्रबंधन के लिए मेसर्स राईटर्स एण्ड पब्लीसर्स प्रा.ली. (डब्ल्यू पी.एल.) का नाम समिति द्वारा अनुशंसित गया। दि. 26 फरवरी 2009 को इस न्यायालय ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। डब्ल्यूपीएल द्वारा बोली लगाये जाने वाले दस्तावेजों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिससे उनकी आर्थिक क्षमता एवं निधि निर्धारित की गई, जो पुनरूथान की योजना के लिये सहायक हो। पुनरूथान की योजना के अंतर्गत 504 करोड़, जिसमें रु.102 करोड शेयर पूंजी की ओर कार्यशील पूंजी के लिए 276 करोड़ और पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण के लिए 126 करोड़ डब्ल्यू.पी.एल की राशि को निवेश करने का प्रस्ताव रखा गया।

2. पुनरुद्धार योजना का उद्देश्य दि. 7 मई 2008 को पारित आदेश के प्रभाव को टालना था। इस न्यायालय द्वारा अभिलिखत किया गया कि सभी संघो के प्रतिनिधि, उनके कर्मचारी की पहचान कर ली जाये तथा इस संबंध में वे सहमत हो कि सुपर बाजार पर जो बकाया राशि रु. 54.31 करोड़ दि. 31 दिसंबर 2007 को है, दि.14 जुलाई 2009 से इस डब्ल्यू पी एल कंपनी द्वारा सुपर बाज़ार का प्रशासन और मामलों का प्रबंधन शुरू किया गया।

3. 13 अगस्त 2010 के एक बाद के आदेश में, यह न्यायालय इस प्रकार देखा गया:–

"(ii) हमारे द्वारा दिनांक 7 मई, 2008 के आदेश के अनुसार 54.31 करोड़ रु. 31 दिसंबर तक बकाया वेतन के संबंध में निर्देश दिया गया था कि सबसे उॅची बोली लगाने वाले को वितरित किया जावेगा। 55 करोड़ रु सबसे उॅची बोली लगाई गई, 20 करोड़ रू. जो उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के पास जमा है, को आधिकारिक परिसमापक द्वारा वितरित किया जाएगा और में केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के नामांकित व्यक्ति एवं प्रत्येक संघ के प्रतिनिधि की उपस्थिति में आज से चार सप्ताह में वितरित किया जावेगा। उच्चतम बोली लगाने वाले का प्रतिनिधि भी उक्त बैठक में उपस्थित रहेंगे। यह स्पष्ट कर

(6)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

दिया गया है कि कर्मचारी भुगतान की रसीद पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बकाया राशि 54.31 करोड़ रुपये में समायोजित किया जाएगा।

(iii) जहां तक शेष राशि का प्रश्न है, हम उच्चतम बोली लगाने वाले को निर्देशित कर रहे है कि उन्हें एक शपथ पत्र, एक अंडरटेकिंग के साथ पेश करना होगा कि वे चुनाव के पश्चात बोर्ड आॅफ डायरेक्टर्स के गठन के आठ सप्ताह की अवधि में शेष राशि श्रमिकों को वितरित करेंगे। इसमें 31 दिसंबर 2007 के बकाया वेतन भी शामिल होंगे।

4. पुनरुद्धार योजना की शर्तों के अनुसार, अक्टूबर 2009 में WPL के द्वारा सुपर बाज़ार के कर्मचारियों को तीन वर्ष के लिये पुनः रोज़गार दिया गया। इसके पश्चात सितंबर 2015 में भारत संघ की आेर से अंतरवर्ती आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि न तो सुपर बाजार के प्रबंधक के द्वारा न ही WPL द्वारा पुनरुद्धार योजना केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के समक्ष पेश किया। परिणामस्वरूप उनका बहु–राज्य के प्रावधानों के अनुसार पुनरूथान बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अनुसार नहीं हो सका।

5. 29 मार्च 2016 को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की बेंच यह देखने के लिए विवश हुई कि न्यायालय द्वारा किये गये गंभीर प्रयासों के पश्चात भी, डब्ल्यूपीएल की बोली स्वीकृत होने के बाद भी पुनरुद्धार की शर्तों को प्रभावी करना संभव नहीं हो सका, अतः इस न्यायालय द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त करने हेतु सुझाव मांगे गये थे।

"मेसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड की बोली की स्वीकृति होने के पश्चात इस न्यायालय द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों के बावजूद वर्ष 2009 से अनेकों बार इसी सुनवाई किये जाने के पश्चचात भी यह महसूस किया कि पुनरुद्धार की शर्तों को क्रियान्वित करना संभव नहीं होगा। इस न्यायालय द्वारा विपरीत पक्ष से सुझाव मांगे गये थे कि इस व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जा सकता है।"

इस व्यवस्था को समाप्त किये जाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके इसके लिये इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीएल के प्रबंधन के अंतर्गत आदेश दिनांक 29 मार्च 2016 को किए गए पूरे निवेश को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर के अधीन उस अवधि के दौरान किए गए लाभ की कटौती कर पूरे निवेश को वापस करने के निर्देश दिये गये कि यह कटौतियाँ भारत के महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा नामित लेखा परीक्षक के नियत्रंक द्वारा सत्यापन के पश्चात की जावेगी। भारत के महालेखा परीक्षक CAG द्वारा किये गये निर्धारण

(7)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

को CAG द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक था। इसके पश्चात इसे संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी बनाया गया। धन वापसी तथा व्यवस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए डब्लूपीएल को निर्देशित किया गया कि वह सुपर बाजार की सभी चल–अचल संपत्तियाँ उसके परिसमापक को दे दे। न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश निम्नलिखित थे:–

''विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया, हम इस दर्ज करने के संतुष्ट है कि मेसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड को उनका किया गया पूरा निवेश 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से जिस समय व्यवस्था लागू थी, उस समय किये गये लाभों की कटौती के अधीन रहते हुए वापस किया जाना चाहिए। (यद्यपि यह सुझाव दिया गया कि ब्याज की दर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो सकती है)....

मेसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड को यह अधिकार होगा कि वह एक उपयुक्त आवेदन इस आशय का प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा जमा किये गये 14.84 करोड़ रुपये की राशि, जो न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा है को (इस समयावधि के ब्याज सहित) प्राप्त कर सके। एक उचित आवेदन प्रस्तुत करने पर मेसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड 8.07 करोड़ रुपये की राशि को पुनः प्राप्त करने की अधिकारी होगी, जो उनके द्वारा क्षेत्रीय आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वजीरपुर दिल्ली में जमा की गई थी। उक्त धनराशि मेसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड को प्राप्त होने पर यह राशि मूलधन में समायोजित की जावेगी।

6. दिनांक 29 मार्च 2016 को पारित आदेश में सीएजी की भूमिका निम्नानुसार हैः–

"उपर उल्लेखित राशि वापस करने का प्रभावी बनाने के लिये (मेसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड) हम इसे उचित मानते है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नामांकित किया जावे कि वे मेसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड द्वारा किये गये आय व व्यय को सत्यापित करे एवं इस समयावधि में उसके द्वारा सुपर बाजार प्रतिष्ठान से अर्जित लाभ पर भी विचार करें। लेखा परीक्षक द्वारा किये गये निर्णय को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जावेगा। इसके पश्चात यह मेसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड सहित सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह उल्लेख किये जाने की आवश्यकता नहीं है कि सभी इच्छुक पक्ष उनसे संबंधित दावों को प्रचारित करने के लिये

(8)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

नामांकित लेखा परीक्षक के समक्ष उपस्थित रहने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

7. WPL को 14.84 करोड़ रुपये की राशि जो न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा थी तथा 8.07 करोड़ रुपये की राशि जो आयुक्त भविष्य निधि संगठन दिल्ली में जमा की थी को आहरित करने की अनुमति दी गई थी। देय भुगतान राशि वापस करते समय राशि मूलधन में समायोजित की जानी थी। WPL की संपूर्ण देनदारी का भुगतान करने के बाद परिसीमपक अधिकारी को परिमापन की प्रक्रिया आगे बढाने हेतु निर्देश दिये गये।

8. इस न्यायालय के आदेश में जारी निर्देशों के अनुसरण में CAG ने 1 सितंबर 2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर डब्ल्यूपीएल ने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की।

9. इस बीच आदेश दिनांक 21 नवंबर 2016 और 27 अप्रैल 2017 के डब्ल्यूपीएल के बकाया चुकाने हेतु आधिकारिक परिसमापक को समय सीमा बढाने की अनुमति प्रदान की। न्यायालय द्वारा आगे यह भी निर्देश दिया गया कि सुपर बाजार की संपत्तियों को विक्रय करे तथा अनुमेय शुल्क के कटौत्रे के पश्चात डब्ल्यूपीएल को राशि का वितरण करने की अनुमति दी गई।

10. इसके पश्चात डब्ल्यूपीएल द्वारा आधिकारिक परिसमापक के विरूद्व अवमानना कार्यवाही जो विक्रय किया गया, मूलधन पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज एवं उसकी राशि की वापसी के अनुतोष हेतु प्रस्तुत की गई। जब कार्यवाही के साथ CAG रिपोर्ट को विचार में लिया जाकर आदेश दि. 17 मई 2018 पारित किया गया। WPL की आपत्तियॉ CAG रिपोर्ट के संबंध में स्वीकार की गई–

प्रथम––WPL को संपूर्ण निवेश, जिसमें शेयर पूंजी शामिल है, 6 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी माना गया। **द्वितीय**––व्यवसाय के दौरान हुए घाटा (नुकसान) का कटौत्रा किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। अवमानना याचिका 17 मई 2018 के आदेश से निराकृत कर दी गई। डब्ल्यूपीएल के द्वारा एक आवेदन ने 17 मई 2018 को संपूर्ण निवेश की राशि लौटाये जाने हेतु प्रस्तुत किया। आधिकारिक परिसमापक द्वारा दिनांक 18 मई 2018 को WPL के पक्ष में 35 करोड़ रु. जारी किये गये।

उप निदेशक, उपभोक्ता कल्याण विभाग, भारत सरकार ने दि. 20 मई 2018 को आधिकारिक परिसमापक को पत्र लिखते हुए डब्ल्यूपीएल को किसी भी राशि के भुगतान करने पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि वित्त मंत्रालय द्वारा विधि विभाग के परामर्श से मामले की जांच की जा रही है। इस पत्र की प्रति शाखा प्रबंधक आंध्रा बैंक, कनॉट प्लेस,

(9)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ प्रेषित की गई कि अधिकारीक परिसमापक ए.के. मिश्रा द्वारा दि. 15 मई 2018 के पश्चात हस्ताक्षरित चेक के आधार पर कोई भी राशि जारी न करे। इसके पश्चात आधिकारिक परिसमापक के द्वारा एक पत्र दि. 21 मई 2018 को डब्ल्यूपीएल केा लिखते हुए सूचित किया कि 35 करोड़ रुपये की राशि दि. 18 मई 2018 को भुगतान किये जाने के पश्चात उनके द्वारा दिनांक 20 मई 2017 के पत्र के आलोक में कोई भी पश्चातवर्ती भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

11. डब्ल्यूपीएल के द्वारा अवमानना याचिका क्र.1207–1208 इस न्यायालय के आदेश दि. 17 मई 2018 का पालन करने के आक्षेप के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई कि संपूर्ण निवेश की गई राशि ब्याज सहित वापस नहीं की गई। डब्ल्यूपीएल के द्वारा प्रार्थना की गई कि सुपर बाजार की संपत्ति के विक्रय के 102.82 करोड रुपये जारी किये जावे।

12. डब्ल्यूपीएल के द्वारा दि. 20 मई 2018 और 21 मई 2018 के पत्र को निरस्त कर 35 करोड़ रुपये जारी करने के प्रार्थना की।

13. वर्तमान याचिका के जवाब में भारत संघ ने द्वारा अंतरवर्ती आवेदन प्रस्तुत करते हुए आपत्ति ली कि डब्ल्यूपीएल द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अवमानना याचिका पोषणीयता नहीं थी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा दि. 17 मई 2018 को निर्देश जारी किये, जो कार्यवाही की गई थी उसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि CAG की रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष एवं उचित तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाने के कारण पोषणीय नहीं है। चुनौती दिये जाने का दूसरा आधार पक्षकरों के असंयोजन की बाधा थी, जिसके कारण CAG तथा केन्द्रीय सरकार के द्वारा सही तथ्य समक्ष में नहीं लाये जा सके। अवमानना याचिका में पूर्व परिसमापक अधिकारी को पक्षकार बनाया गया था। यह आपत्ति ली गई कि दि. 17 मई 2018 को जारी किये गये निर्देशों के अवसर पर CAG तथा केन्द्र सरकार को सूचना पत्र जारी नहीं किये गये।

14. हमने भारत संघ द्वारा वर्तमान याचिका के जवाब में ली गई आपत्तियों पर विचार किया। हमारा ध्यान इस ओर दिलाया गया कि अधिकारिक परिसमापक श्री ए के मिश्रा के द्वारा लिखित में निर्देश दिये गये थे कि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सुपर बाजार को असिस्ट करने वाले अधिवक्ता उन्हें इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होना है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि उन्होंने अधिकारिक परिसमापक के रूप में कार्यकाल समाप्त

(10)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

होने के पश्चत डब्ल्यूपीएल को 35 करोड़ रुपये की राशि निकालने की अनुमति का चेक प्रदान किया। भारत संघ के द्वारा यह कहा गया कि पिछली कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा सुनवार्इ की गर्इ थी तब भारत संघ तथा सुपर बाजार की आेर से कोर्इ भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। इसके कारण कर्इ महत्वपूर्ण तथ्य एवं दस्तावेज को संज्ञान में नहीं लाया जा सका। प्रासंगिक कथन निम्नानुसार हैः–

"32. ...यह निवेदन किया गया है कि पूर्व आधिकारिक परिसमापक के द्वारा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता जो दि. 01.05.2018 को सुपर बाजार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, को निर्देशित किया गया कि दि 02.05.2018 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हो, वास्तव में जिस दिनांक को आदेश सुरक्षित रखा गया था, उस दिन भारत सरकार तथा सुपर बाजार की आेर से कोई प्रतिनिधि न्यायालय को सही जानकारी देने के लिये उपस्थित नहीं थे। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि अभिलेख से उत्पन्न तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाये गये।

42. एक और चौंकाने वाली स्थिति यह है कि जब यह मामला इस माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.07.2018 को सूचीबद्ध किया गया था, तब पूर्व आधिकारिक परिसमापक ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन पवैया को नियुक्त किया गया, जिनके द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष कहा गया कि पूर्व आधिकारिक परिसमापक अभी भी कार्यभार संभाल रहे हैं एवं वरिष्ठ अधिवक्ता उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एवं इसके पश्चात प्रश्नगत चेक विधिवत जारी किया गया था। इस तथ्य से पूर्व आधिकारिक परिसमापक की दुषित मानसिकता स्पष्ट दिखायी देती है कि उनके द्वारा सुपर बाजार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता को निर्देशित किया कि वे इस न्यायालय के समक्ष दि. 01.05.2018 को 02.05.2018 को उपस्थित न हो, जिसके कारण दि. 02.05.2018 को आदेश को सुरक्षित रखा गया। उस दिन सरकार एवं सुपर बाज़ार की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण सही तथ्य माननीय न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाये जा सके।

15. इसी क्रम में अगली अवमानना याचिका क्रमांक 866–867 लेनदार कल्याण संघ द्वारा जारी की गर्इ। आवेदक उनका प्रतिनिधित्व करते हैं जो सुपर बाजार में सामान की आपूर्ति में लगे हुए थे। आवेदक द्वारा पूर्व में एक अवमानना याचिका प्रस्तुत करते हुए 25 करोड़ रुपये की मांग की गर्इ थी जो सुपर बाजार में आपूर्ति में किए गए सामान

का भुगतान शेष था, जिसे इस न्यायालय ने दि. 27 अप्रैल 2017 को निराकृत कर दिया गया। आवेदक का आरोप है कि सुपर बाजार पर 25 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। आवेदक का यह भी तर्क है कि केन्द्र सरकार के माध्यम से रजिस्ट्रार के द्वारा सभी इच्छुक व्यक्तियों को सुनने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। आवेदक तथा श्रमिक संघ का पक्ष इसके विपरीत है, जो निर्देश इस न्यायालय द्वारा दि. 10 मई 2013 को दिये गये हैं।

16. वर्तमान बैंच में अंतिम तीन एमए हो चुके हैं, जो सुपर बाजार के तीन हितधारकों की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं, जो वर्तमान विषय वस्तु से प्रासंगिक हैं। प्रथम एमए क्र. 677–678 वर्ष 2018 डॉ. ए.के. मिश्रा सुपर बाजार के पूर्व अधिकारिक परिसमापक की आ ेर से दि. 25 जुलाई 2016 तथा 4 अक्टूबर 2016 को पारित आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसे भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिये 27,83,01,725 रुपये की वसूली के लिये भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन निधि, बीमा निधि योगदान और कर्मचारियों के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक शुल्क भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान, 1952 और सुपर बाजार के सभी निवर्तमान कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में पारित किया गया था।

दूसरा समूह था––एमए क्र. 1862–1863 पर आवेदन सुपर बाजार के 240 कर्मचारियों द्वारा उनके वेतन के बकाए तथा अन्य लाभ का भुगतान न किये गये पर प्रस्तुत किया गया था।

तीसरा समूह था––एमए क्र. 1394–1395 न्यायालय के आदेश दिनांक 29 मार्च 2016 के आलोक में सुपर बाजार के कर्मचारियों की ओर से बकाया वेतन, भत्ते तथा अन्य लाभ की मांग की ग ई थी। कर्मचारियों द्वारा तर्क दिया गया कि डब्ल्यू.पी.एल के द्वारा सोसायटी के उन उपनियमों में संशोधन करके पुराने हितधारकों को सुपर बाजार के प्रबंधन से बेदखल किया जा रहा है, जो बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 2002 के विपरीत है।

17. इस न्यायालय के दि. 29 मार्च 2016 के आदेश के अनुसार सुपर बाजार का खाता वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक का संचालन, जिसे सी.ए.जी., एसपीएमजी एंड कंपनी के द्वारा नामित लेखा परीक्षक द्वारा किया गया। डब्ल्यू.पी.एल द्वारा किए गए दावों के संबंध में एस.पी.एम.जी. एण्ड कंपनी के द्वारा निर्णय लिया गया एवं रिपोर्ट दि. 1 सितंबर 2017 में उसका सत्यापन किया गया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिन पी. रावल,

(12)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

वर्तमान आधिकारिक परिसमापक की ओर से उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि लगभग 44 करोड़ रुपये की राशि, अस्वीकार्य हानि की है, जैसा कि C.A.G. ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। अपने लिखित तर्क में, श्री रावल के द्वारा बताया गया कि सीएजी रिपोर्ट गंभीर कमज़ोरियों को दर्शाती है। उपरोक्त वर्षों के दौरान सुपर बाज़ार के खाते में महत्वपूर्ण कमियाँ निकाली गई, जबकि प्रबंधन W.P.L. का था। C.A.G विज्ञापन की रिपोर्ट के कुछ अंश के अनुसार W.P.L. के खाते में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कमियाँ निकाली गईः–

वित्तीय वर्ष 2009–10

क्र.	मैसर्स एस.पी.एम.जी. एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट	सीएजी आडिट टर्म रिमार्क
3.	हम अपनी टिप्पणीयॉ प्रस्तुत करना चाहेंगे जैसा कि नीचे बताया गया हैः– 1. राइटर्स एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2009 – 10 में 35 करोड़ रु शेयर पूंजी के पुनरुद्धार के लिये 102 करोड़ रुपये शेयर मूलधन बताये गये। उसके पश्चात 35 करोड रु की राशि में से 28 करोड़ रुपये बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट किया गया, जैसा कि हमारे समक्ष पेश किये गये खातों की पुस्तकों और बैंक रिकॉर्ड से दर्शित है, जो दि. 31.03.2010 को पेश किया गया। ताजा शेयर पूंजी के रूप में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निवेश करना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। धन का प्रेरण, पहले वर्ष के दौरान 73 स्टोर्स में से, जो अनुबंध की शर्तों में शामिल था, मात्र एक स्टोर संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में (खोला गया) चालू था। जनवरी 2010 तक इसकी कुल विक्रय लगभग 15 लाख रुपये था।	तथ्य व आकडे सत्यापित
	7. 67,92,216 रुपये का खर्च था (वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए अनुबंध 3 संलग्न) जो भवन के नवीकरण हेतु व्यय किया गया। हालाँकि इसके लिये कोई भी कोटेशन/ निविदा/कार्य करने का आदेश जारी नहीं किया गया था। जितना उचित टैक्स था उतना उचित व्यय दर्शित नहीं है। इसके आगे अग्रिम भुगतान	नामांकित अंकेक्षक की टीप से सहमत एवं 60,87,954 रूपये पुनःप्रारूपित शेष मेसर्स डब्ल्यू पीएल को नामे किया जा सकता

(13)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

9.	किया गया। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में हिसाब–किताब का निपटान किया जाता था। कोई प्रमाणीकरण/फोटो/दस्तावेज कार्य को उचित ठहराये जाने हेतु रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है कि इन खर्चों के संबंध में क्या काम किया गया।	है।

वित्तीय वर्ष 2010–11

क्र.	मैसर्स एसपीएमजी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट	सीएजी आडिट टर्म रिमार्क
1.	हमारी फर्म मेसर्स एसपीएमजी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सुपर बाजार को–ऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2010–11 की समीक्षा करने का कार्य सौंपा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में हम अपनी रिपोर्ट को निम्नानुसार पेश करना चाहेंगेः– जनवरी 2011 में एक वेंडर प्रीमियर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये का एडवांस दिया गया आैर न ही इस राशि से दि. 29.03.2011, 30.03.2011 को कोर्इ खरीदारी की गर्इ। 23,93,820/– रूपये की खरीदी की गर्इ आैर समांतर रूप से यही माल उसी पार्टी को एक निश्चित तिथि को 24,18,000/– रुपये का विक्रय कर दिया गया। इस प्रकार 24,180/– रुपये शुद्व लाभ कमाया गया। 20 कराडे रुपये राशि बिना ब्याज के देने का कोर्इ औचित्यपूर्ण कारण नहीं बताया गया। सिर्फ 24 लाख रुपये (लगभग) व्यापार के लिए जिसमें 36,73,973 रुपये का ब्याज का नुकसान हुआ, जिसे पार्टी के खाते में आय में डाला जाता है, जिसे बिना ब्याज के राशि देने का जो घाटा हुआ, उसे बिना किसी व्यावसायिक उद्वेश्य के अग्रिम राशि देना माना जावेगा।	1. नामांकित लेखा परीक्षक की टिप्पणी से सहमत हूँ। 2. तथापि नामांकित लेखा परीक्षक द्वारा ब्याज की राशि 77 दिन की 15 करोड़ रूपये उदहरण के लिये 28.48 लाख रू., जबकि CAG ऑडिट के अनुसार 78 दिनों के लिए गणना की गई यानी रु.28.85 लाख।5 करोड़ रूपये (8.26 रुपये लाख) के ब्याज की दर में कोर्इ निवेश नहीं है। 3. ब्याज की हानि 37.11 लाख (रु. 28.85 +रु. 8.26 लाख) पार्टी को डेबिट किया गया, जिसमें पुनः प्रारूपित व्यय शामिल है। इसकी वसूली की जिम्मेदारी मैसर्स डब्लू.पी.एल की रहेगी।

	भवन के नवीनीकरण हेतु 83,34,434 रुपये परिव्यय होना बताया गया है। (अनुलग्नक 3 संलग्न वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु)	नामांकित लेखा परीक्षक की टिप्पणी से सहमत है। रु.

(14)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

8.	यद्यपि इस कार्य हेतु कोई निविदा/कोटेशन/अथवा कार्य आदेश जारी कर दिया गया था। उपरोक्त उल्लेखित परिव्यय के संबंध में संलग्न चालान से दर्शित होता है कि इस संबंध में उचित कर भी वसुला गया है। तत्पश्चात वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में भुगतान किया गया एवं खातों का निपटान समायोजित किया गया। इन खर्चों से संबंधित किये गये कार्यो को न्यायोचित दर्शाने वाला कार्य प्रमाण पत्र/फोटोग्राफ/दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।	78,39,333 मेसर्स डब्लू.पी. एल को भुगतान किया गया एवं अनुलग्न 3 में दर्शित अनुसार उसे पुनःप्रारूपित बकाया के रूप में संशोधित किया गया।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 के संदर्भ में यह परिलक्षित होता है कि 67 प्रतिशत टर्नओवर का केवल पुस्तक प्रविष्टियों में रिकार्ड रखा गया है। वर्ष 2012–13 के वित्तीय वर्ष में एैसा टर्नओवर दर्शाने का प्रयास किया गया, जिसका 50 प्रतिशत केवल लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि के माध्यम से दर्शाया गया था, जिसमें वास्तव में माल का परिचालन नहीं हुआ था। यहॉ अभिकथित किया गया है कि ब्याज राशि के संबंध में कोई विवाद नहीं है, अपितु जिस राशि पर ब्याज देय है वह राशि नामांकित लेखा परीक्षक द्वारा पुनःनिर्धारित/पुनः कार्यान्वित कर C.A.G द्वारा सत्यापित की जाना है। यह भी अभिवचन है कि पूर्व के आधिकारिक परिसमापक ए.के.मिश्रा मूकदर्शक बने रहे, उन्होंने अधिवक्ता को भी न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य प्रस्तुती की अनुमति नहीं दी। इसके अतिरिक्त यह भी अभिवचन है कि डब्लू.पी.एल नुकसानी के रूप में दावाकृत राशि की अहर्ता नहीं है। यह व्यय अदावाकृत है, जिसका किसी दस्तावेजी प्रमाण से समर्थन नहीं होता है।

18. विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा 12 सितंबर 2018 के आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में एक टीप भी प्रस्तुत की है। यह कहा गया है कि जब सुपर बाजार पर W.P.L द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया तब विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करना वांछित था। संपत्तियां जीर्ण–शीर्ण होकर उनका नवीकरण एवं मरम्मत आवश्यक था। इसके अतिरिक्त वैधानिक देनदारियाँ/राशि भी बकाया थी। यह भी व्यक्त किया गया कि इस न्यायालय के आदेशानुसार डब्ल्यू.पी.एल को सुपर बाज़ार को पुनर्जीवित करने हेतु बुलाया गया और पुनरुद्धार हेतु उसे निवेश करना पडा। ऐसी स्थिति में जहॉ

(15)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

W.P.L प्रस्तावित पुनरुद्धार के अनुसार अग्रेषित होने में अक्षम था, उसे प्रबंधन में शामिल रहने की अवधि के दौरान अर्जित लाभ की कटौती के बाद 6 प्रतिशत ब्याज के साथ निवेशित राशि की वापसी का हकदार माना गया था। यह भी कहा गया कि सुपर बाजार के विधिवत खातों के रूपयों का ट्रांसफर केवल उच्च ब्याज की दर का लाभ लेने के लिये किये गये।

19. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते समय, मामले को स्थापित करने की आवश्यकता में, इस न्यायालय के संज्ञान में क ई महत्वपूर्ण पहलू लाए गए। इस न्यायालय ने लंबे समय तक पुनरुद्धार योजना की निगरानी की। इसका उद्देश्य सुपर बाजार के सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना है। यद्यपि सुपर बाज़ार को उसके पुराने दिनों में वापस नहीं लाया जा सका। डब्ल्यू.पी.एल ने दावा किया कि उसने बड़ी मात्रा में पैसा निवेश किया है, उसके बावजूद भी को ई खास सुधार नहीं हुआ। इस न्यायालय द्वारा परिकल्पित तरीके से पुनरुद्धार की योजना को निष्पादित नहीं किया गया था। प्रथम दृष्टया हम जान पाए कि सी.ए.जी रिपोर्ट में किया गया। सत्यापन वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है और इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षकों द्वारा खाते में अनियमितता इंगित की गईं एवं सत्यापित की गईं। सी.ए.जी को सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है। इस न्यायालय के समक्ष भारत संघ की आ ेर से सुनवा ई का अवसर पूर्व अधिकारिक परिसमापक के लिखित निर्देश के कारण उनके अधिवक्ता को उपस्थित होने से प्रभावी तरीके से रोका गया। इस न्यायालय के समक्ष सुपर बाज़ार के मामले किसके हितों को प्रभावित करते हैं ? सुपर बाजार के मामले में किसके हित प्रभावित हो रहे हैं, इस बिन्दु पर निर्णय लेने के लिये के लिये इस न्यायालय के समक्ष सभी तथ्य रखे जाना चाहिए थे।

20. इसके अतिरिक्त, W.P.L को 35 करोड़ रूपये पूर्व अधिकारिक परिसमापक द्वारा जारी करने के दिये थे, जिसने अपना कार्यभार समाप्त होने के पश्चात दिया था, पूर्णतः व सही तथ्यों को इस न्यायालय के समक्ष नहीं लाने देने का सुविचारित प्रयास किया गया। हमारी दृष्टि में न्यायहित में आवश्यकता है कि अंतिम आदेश पारित किये जाने के पूर्व भारत संघ, सी.ए.जी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जावे। अधिकारिक परिसमापक और डब्ल्यू.पी.एल को भी सुना जावे। यदि डब्ल्यू.पी.एल को कोई राशि देय हो तो उसका निर्धारण किया जावें। अन्य कर्मचारी संघ एवं संगठन सहित हितधारक लेनदारों को भी सुना जाना चाहिए। हम अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री से संतुष्ट हैं। इसमें सभी हितधारकों के

(16)सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ एवं अन्य विरूद्व भारत संघ एवं अन्य 13 S.C.R 428

महत्वपूर्ण हित शामिल हैं और यह पूर्ण है। परिणामस्वरूप मामले के परिप्रेक्ष्य में पूर्व अधिकारिक परिसमापक द्वारा लिखित निर्देश देकर भारत संघ व सुपर बाजार के अधिवक्ता के उपस्थित होने से रोकने का क्या उददेश्य था, सभी तथ्य सामने आना चाहिए, जो नहीं आ पाये। परिणामस्वरूप प्रमुख हितधारक अनुपस्थिति रहे, इस कारण न्यायालय का यह कर्तव्य है कि न्याय की हानि होने से रोकने के लिये नये सिरे से सुनवाई की जावे। अतः आदेश दि. 17 मई 2018 को वापस (recoll) लिया जाना चाहिए।

21. अतः हमारा अभिमत है कि आदेश दिनांक 17 मई 2018 को वापस लिया जाना चाहिए। इस अनुसार आदेश दिया जाता है।

22. इस प्रकार आदेश दिनांक 17 मई 2018 वापस लिया जाता (recoll) है। डब्ल्यू.पी.एल द्वारा लगाई गई अवमानना याचिका, जो उस आदेश का पालन न करने के कारण लगायी गई थी, यह आदेश अब अस्तित्व में नहीं है, अतः अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 1207–1208/2018 में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 8398–8399/2005 निरस्त की जाती है। इसके अतिरिक्त आई.ए. क्रमांक 125885 अवमानना याचिका (सिविल) क्रमांक 1207–1208/2018 में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 8398–8399/2005 जो भारत संघ की ओर से प्रस्तुत की गई थी को दि. 17 मई 2018 को वापस (recoll) करने हुए निराकृत किया जाता है।

अवमानना याचिकाएं निराकृत।

(डॉ.श्रीमती शुभ्रा सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह
जिला मण्ड़लेश्वर (प.नि.)